

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, एटा**

पत्रांक : 1718 / OC
सेवा में,

दिनांक : 12/6/14

जिलाधिकारी,
एटा

विषय : उ0प्र0 रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट-1945 की धारा-6 के इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, को जनपद एटा में राज्य मार्ग संख्या-85 एटा शिकोहाबाद मार्ग के किमी0-2 (चैनेज- 1.0105 किमी0) पर मार्ग के बायीं ओर पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
संदर्भ : आपका पत्रांक 1220/न्याय सहायक दिनांक 04 मार्च 2014

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0, 65/2 संजय पैलेस, आगरा को मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0, आगरा के पत्र संख्या-6580/116सी-आ0क्षे0/14 दिनांक 09.06.2014 के अनुपालन में सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक R/W/NH-33023-19/99-DO-III दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गाइडलाइन्स एवं शर्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें :-

1. मानचित्र मानक के अनुसार बने हैं।
2. प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
3. आवेदन के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ0प्र0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट-1945 की धारा 13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल नगर पालिका की सीमा के बाहर है।
5. प्रस्तावित स्थल राज्य मार्ग-85 एटा शिकोहाबाद के किमी0-2 (चैनेज-1.105 किमी0) के बायीं ओर पड़ता है।
6. प्रस्तावित निर्माण कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
7. रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिये 01 किमी0 की दूरी पर सर्विस वेरियर नहीं है।
8. बफर स्ट्रिप 16मीटर लम्बाई एवं 03मीटर चौड़ाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौड़ाई (सामने 12.00 मीटर है)।
9. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड संख्या-12-2009 के अनुसार किया जाये।
10. आवेदक को प्रस्तावित निर्माण मार्ग की मध्य रेखा से बफर स्ट्रिप 22.87 मीटर पम्प 33.37 मीटर, 42.37 मीटर, एवं भवन निर्माण 50.37 मीटर की दूरी पर नक्शे में प्रदर्शित है।
 - क. आवेदक को पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्चे से मानचित्रानुसार ओपन ड्रेन (नाली) एवं दोनों ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 15 वर्षों के लिये लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र (एनेक्चर-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है। एग्रीमेन्ट की फीस समक्ष अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जमा करा ली जायेगी। प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।
 - ख. आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पेट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व उपरान्त मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।
 - ग. आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षाती पानी का बहाव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहिए एवं नाली को बन्द नहीं किया जायेगा।
 - घ. फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.50 मी0 नीचा रखा जायेगा।

(2)

11. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुंच मार्ग पर 1.00मीटर स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साइट खन्ती में 1.00 मीटर चौड़ाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाइप के कैटिल केचर बना दिया जाय ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साइट ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सके। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द नहीं किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।
12. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुंच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0-13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
13. बफर स्ट्रिप के पास हैजिज की ऊँचाई 60 सेमी0 से ऊपर न रखी जाये।
14. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0 मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामिग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य से 22.87 मीटर की दूरी के कम पर कोई भवन निर्माण नहीं होना चाहिए।
15. प्रस्तावित स्थल के 300 मीटर दोनों ओर कोई रोड क्रोसिंग नहीं होनी चाहिए।
16. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
17. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने के पूर्व प्रार्थी को अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, एटा से लाइसेन्स डीड एक्जीक्यूट कराना आवश्यक है।
18. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाए इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
19. लो0नि0वि0 मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही उक्त कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिए किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा।

संलग्न: दो मानचित्र। तथा ~~चैक~~ लिस्ट

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
एटा 12/6/14

पत्रांक :

दिनांक :

प्रतिलिपि:

1. सहायक अभियन्ता(प्रथम), प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, एटा को उनकी संस्तुति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।
 2. अवर अभियन्ता(प्रा०), प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, एटा को सूचनार्थ प्रेषित।
- संलग्न - एक मानचित्र मूल कागजात।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
एटा

Check List

(Enclosure to ministry of Road Transport & Highways Letter No. RW/NH-33023/19/99- DOLH dated 17.10.2003)

Check List for getting approval for installation of new Fuel Stations along National Highways.

1. General Information -
- 1.1 National High way number SH -85
- 1.2 State Uttar Pradesh
- 1.3 Location Etah Shikohabad Road (Bhagipur)
Khasra No. 641
- 1.3.1 (Change in Km.)
[Side of NII (Left or Right)
Side of ~~S.H.R~~ Towards increasing **L.H.S.**
Chainage/Km direction Ch. 1.105 (km-1 &2)
- 1.4 Name of High way Authority **P.W.D.**
(NHAI/ PWD/BRO)
- 1.5 Executive Engineer **Executive. Engineer**
(or Equivalent) address **Provincial Division, P.W.D., Etah**
- 1.6 Name of oil Company **Indian Oil Corporation Ltd.**
(as applicable)
- 1.7 Name and address of
1.7 owner of Fuel Station. **M/s Indian Oil Corporation Ltd.**
65/2 Sanjay Palace, Agra

Anil
(अनिल शर्मा)
अवर अभियन्ता
राष्ट्रीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, एटा

Anil
आर.पी. सिंह
सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि. एटा

Anil
अधीक्षक अभियन्ता
राष्ट्रीय खण्ड लो.नि.वि.
एटा
6/6/14

Anil
(के.के. सिंह राठौर)
अधीक्षक अभियन्ता
अलग वृत्त, लो.नि.वि.
अलीगढ़
2/6/14